न्यायालय राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या–53/2002–03 **अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधि0**

राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता कालसी, जिला देहरादून।

बनाम

1. जातीराम पुत्र बुध सिंह निवासी ग्राम कालसी खत हरीपुर व्यास, तहसील चकराता थाना कालसी, जिला देहरादून।

2. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 सब्बल सिंह, निवासी स्वर्णखत लखवार, तहसील चकराता, थाना कालसी, जिला देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता राज्य सरकार/वन विभाग : श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)

अधिवक्ता उत्तरदाता सं0–01 :श्री शक्ति कुमार संगल (अनुपस्थित)।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा परगनाधिकारी, चकराता, जिला देहरादून द्वारा अपील संख्या–29/75 धारा–दाखिल खारिज जातिराम बनाम इन्द्रजीत सिंह आदि में पारित दाखिल खारिज आदेश दिनांक 15–07–1975 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है :–

वादग्रस्त भूमि के संबंध में उत्तरदाता संख्या–02/विक्रेता से प्राप्त विक्रय पत्र के आधार पर उत्तरदाता संख्या–01/क्रेता द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन किया। उत्तरदाता संख्या–01/नामान्तरण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, चकराता द्वारा आख्या दिनांक 04–07–1975 परगनाधिकारी, चकराता को प्रेषित की गई। तहसीलदार की आख्या के अनुसार जातिराम पुत्र बुध सिंह, निवासी जामनसोत खत हरिपुर व्यास, तहसील चकराता के दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र पर दो आपत्तियां आई। एक आपत्ति ओमप्रकाश नाम व्यक्ति ने की जो बाद में राजीनामा होने के कारण तय हो गई तथा दूसरी आपत्ति वन विभाग द्वारा गई जिसके विषय में तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग का स्वामित्व निर्धारित करना उनके न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पक्षों को सुनने के उपरान्त विद्वान परगनाधिकारी, चकराता द्वारा इस आधार पर कि तहसीलदार द्वारा आख्या दी गई है कि प्रार्थी जनजाति का नहीं है और बाहर से आया हुआ है किन्तु प्रार्थी जातनसोत में करीब 15–20 वर्ष से रह रहा है तथा उसके पिता के नाम पर जातनसोत में करीब 16 बीघा भूमि और भी है जिसके वे भूमिधर है तथा एक पक्का मकान भी है वादग्रस्त भूमि पर विक्रेता का नाम खारिज कर उत्तरदाता संख्या–01/प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण के आदेश पारित किए गए। परगनाधिकारी, चकराता के दाखिल खारिज आदेश दिनांक 15–07–1975 के विरूद्व यह

निगरानी राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा योजित की गई जो उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

नियत दिनांक को उत्तरदाता संख्या–01 की ओर से किसी के उपस्थित न होने के कारण निगरानीकर्ता राज्य सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का भली–भांति अध्ययन किया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का तर्क है कि उत्तरदाता संख्या–01 जनजाति का व्यक्ति नहीं है और बाहर से आया हुआ है, कि प्रश्नगत भूमि वन विभाग की भूमि है और गलत इन्द्राज के आधार पर उत्तरदाता संख्या–02 द्वारा उत्तरदाता संख्या–01 को विक्रय कर दी गई परन्तु परगनाधिकारी, चकराता द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रश्नगत भूमि उत्तरदाता संख्या–01 के पक्ष में नामान्तरित कर दी गई।

मैंने विद्वान परगनाधिकारी, चकराता के प्रश्नगत आदेश दिनांक 15–07–1975 का अवलोकन किया। विद्वान परगनाधिकारी, चकराता द्वारा तहसीलदार, चकराता की आख्या दिनांक 04–07–1975 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि क्रेता/उत्तरदाता संख्या–01 जातनसोत में करीब 15–120 वर्ष से रह रहा है तथा उसके पिता के नाम पर जामनसोत में करीब 16 बीघा भूमि और भी है जिसके वे भूमिधर हैं तथा एक पक्का मकान भी है, कि वन विभाग का स्वामित्व निर्धारित करना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार की आख्या के आधार पर विद्वान परगनाधिकारी, चकराता द्वारा उत्तरदाता संख्या–01 के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया जिसके अवलोकन से पारित आदेश दिनांक 15–07–2975 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। विक्रेता का नाम खतौनी में अंकित था, उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि विक्रीत की गयी है। अतः उसके स्थान पर क्रेता का नाम अंकित किया जाना विधिसम्मत था। नामान्तरण कार्यवाही एक संक्षिप्त राजकोषीय कार्यवाही है जिसमें स्वत्व सम्बन्धी गूढ़ प्रश्न नहीं विनिश्चित हो सकते हैं।

वर्तमान निगरानी में भी इस निगरानी के साथ विचाराधीन दो अन्य निगरानियों संख्या–52/2002–03 सरकार बनाम जातीराम एवं संख्या–54/2002–03 सरकार बनाम जातीराम आदि में उल्लिखित तथ्यों को ही लगभग दोहराया गया है। यह निगरानी आक्षेपित नामान्तरण आदेश से उपजी है न कि अभिलेख दुरस्ती सम्बन्धी आदेश से एवं निगरानी में ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य अंकित नहीं है जिससे निगरानी स्वीकार होने योग्य हो।

इसक अतिरिक्त प्रस्तुत निगरानी वर्ष 1975 में पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्व 1993 में प्रस्तुत है जो कि अति विलम्बित है। आक्षेपित नामान्तरण आदेश के विरूद्व सम्भवतः अपील इसलिए नहीं प्रस्तुत की गयी कि वह कालबाधित थी। यह निगरानी भी कालबाधित थी परन्तु उसे ग्रहण कर लिए जाने के दृष्टिगत उसका गुणदोष के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन व विमर्श के आलोक में निगरानी अस्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानी अस्वीकृत की जाती है। न्यायालय पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।

आज दिनांक **18–04–2018** को खुले न्यायालय उद्घोषित हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य (न्यायिक)।